यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), खण्ड-III राज्य कर, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), खण्ड-III राज्य कर, हल्द्वानी के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष सिंह तडीयाल, ले.प. एवं श्री एस.एस दरियाल एवं श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.01.2019 से 18.01.2019 तक श्री पी.के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.के.मीणा, ले.प., श्री ए.के.गुप्ता एवं श्रीमती रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.12.2017 से 30.12.2017 तक श्री पी.के.गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः बरेली रोड से लाल कुआँ**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	22886.23
2016-17	23614.67
2017-18	9017.50

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	-	-	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-	-	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), खण्ड-III राज्य कर, हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), खण्ड-III राज्य कर, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन : लागू नहीं।

राजस्व: - -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर1- कर का न्यूनारोपण ₹16.02 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा4(2)(i)(ख) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में 13.5 प्रतिशत की दर से कर देयता है ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-3 राज्य कर, हल्द्वानीके अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड बरेली रोड, हल्द्वानी टिन-05001529715 एक लिमिटेड कम्पनी है, जिसके द्वारा उपभोक्ता वस्तुएँ यथा वनस्पति, रिफाइंड,आटा चावल ,साबुन,डिटर्जेंट,टूथपेस्ट,टूथब्रुश ब्रांडेड चाय, अगरबत्ती, नमक,कास्मेटिक, परफ्यूम, हगीज स्क्रेप,जैम स्क्वेश, कास्मेटिक्स इत्यादि वस्तुओं की खरीद बिक्री के व्यवसाय के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2013- 14 में ट्रांसफर ऑफ लेक्मे सैलून ब्रांड पर राइट टू यूज के अंतर्गत एवं जैम, कैचप, टमाटो प्यूरि, स्क्वेच, चाय, काफी,व्हाइट पेट्रोलियम जैली की ₹ 327899041.00 की बिक्री पर पाँच प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था, जिसमें ₹18842162.46 का white Petroleum jelly की बिक्री शामिल थी । जबकि white Petroleum jelly Schedule IIB के क्रम संख्या 41 से आच्छादित नहीं है जैसा कि अभिलेख में दिखाया गया है। इसलिए उल्लिखित नियमानुसार अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। अतः उक्त बिक्री ₹18842162/- पर अंतरीय दर 8.5% (13.5-5) से ₹1601584/- कर आरोपित किया जाना अपेक्षित था। इस धनराशि पर जमा करने की तिथि तक 15% वार्षिक की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया white Petroleum jelly का प्रयोग दवा के रूप में आता है, अत: इस पर कर देयता दवा के अन्तर्गत 5% की दर से बनती है। इसलिए आपत्ति निक्षेप है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त वस्तु दवा नहीं है, अपितु सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु है। अत: कर का न्यूनारोपण ₹ 16.02 लाखका प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर1- मिथ्या प्रमाण पत्र "सी" देने के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 72010/

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10 (b)के अनुसार रजिस्ट्री कृत व्योहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या जाहिर करेगा कि माल के ऐसे वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो उक्त अधिनियम की धारा 10 (a) द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित की जाएगी जितनी उस कर के 1.5 गुने से अधिक न हो जो उस माल पर उसको किए गए विक्रय के बावत उसदशा में उद्ग्रहीत किया जाता यदि विक्रय उस उपधारा के अंतर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) तृतीय राज्य कर हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि सर्वश्री पाल प्रतीक आटो सेल्स प्रा0 लि0 टिन 05011993105 व्हीकल, स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज़, लुब्रीकेंट की खरीद-बिक्री एवं सर्विस कार्य हेतु पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 में फर्नीचर एण्ड फ़िक्सचर ₹ 288727/- एवं सॉफ्टवेयर ₹ 180585/- की खरीद के लिए प्रपत्र "सी" जारी किया गया था जिसके लिए व्यापारी केंद्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकृत नहीं था। चूंकि फर्नीचर एण्ड फिक्चर किसी भी अनूसूची से आच्छादित नहीं है एवं सॉफ्टवेयर अनुसूची 2(B) की प्रविष्टि संख्या 61(vi) से आच्छादित है अतः फर्नीचर एण्ड फिक्चर पर 13.5% की दर से एवं सॉफ्टवेयर पर 5% की दर से कर आरोपणीय है।

अतः फर्नीचर एण्ड फिक्सचर की खरीद ₹288727/- पर कर ₹38978 (288727x 13.5%) एवं सॉफ्टवेयर ₹180585 की खरीद पर कर ₹9029 (180585x 5%) कुल कर ₹48007 का 1.5 गुना ₹72010 अर्थदण्ड आरोपणीय था जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: अर्थदण्ड का अनारोपण ₹72010/-का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-2 अर्थदंड का अनारोपण ₹0.60 लाख|

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(Vii)(b) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर युक्तियुक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो देय कर का कम से कम 5 % प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) तृतीय वाणिज्य कर, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संलग्न सूची के अनुसार व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर **₹**1203530/- बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर नियमानुसार कम से कम 5 प्रतिशत की दर से **₹** 60178 /- काअर्थदण्डआरोपणीय होगा।

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि चूँकि विलम्ब कम है अतः माननीय व्यायालयों द्वारा विभिन्न वादों मं दिये मत के आलोक में अर्थदंड न्यायोचित नहीं है , विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यूंकि युक्तियुक्त कारण नहीं होने पर अर्थदंड अरोपणीय था |

विलम्ब से जमा कर का विवरण **संल्नक**

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	क.नि. वर्ष	धनराशि(**₹)**	निर्धारित तिथि	जमा करने की तिथि	विलम्ब शुल्क अर्थदण्ड (**₹**)
2	सर्व श्री साईं सेल्स हल्द्वानी	2015-16	282050(अप्रैल) 333418(मई) 284911(जून) 170000(नवम्बर) 133162(फ़रवरी)	20-05-15 20-06-15 20-07-15 20-12-15 20-03-16	21-05-15 25-06-15 21-07-15 21-12-15 22-03-16	14103 16671 14246 8500 6658
					कुलयोग	60178 /-

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-32/2013-14	01,02	01,02,03,04	
CT-14/2014-15		01	
CT-47/2015-16		01.02,03,04	
CT-43/2016-17		01,02	01,02
CT-164/2017-18	01	01,02	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), खण्ड-III राज्य कर, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्रीमती स्मिता	उपायुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), खण्ड-III राज्य कर, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र